Research Paper | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 7 | ISSUE : 5 | MAY 2021

शैक्षिक मापकों के सूचकांकों का विकास तथा इनमें हुए परिवर्तनों का एक अध्ययन

MR. SURESH PATLE [1]

[1] Assistant Professor, Department of Education, Sardar Patel Univarsity,Balaghat (M.P.)

ABSTRACT:

KEYWORDS:

प्रस्तावना–

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है । इस दृष्टि से पं. जवाहर लाल नेहरू के निम्नांकित वाक्यों में अनन्त औचित्य है– ''यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे भारत की कल क्या दषा होगी ? देष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देष के प्रत्येक बच्चे को निःषुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–

इसके अनुसार–

- अधिनियम में निःषुल्क शिक्षा का प्रावधान है ।
- निःषुल्क से तात्पर्य किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/षुल्क/व्यय देय नहीं होगा जोकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।
- ड्रॅापआउट एवं अनामांकित बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकित करना ।
- इस हेतु अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु शिक्षकों तथा बच्चों को विषेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- प्रवेषित बच्चों की 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा ।

मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2001 के उद्देश्य–

- मध्य प्रदेष जनशिक्षा अधिनियम, 2002 का प्रमुख उद्देष्य है, प्रदेष के 6–14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःषुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।
- राज्य सरकार की यह जवाबदेही भी सुनिष्चित करना है कि यथा संभव बच्चों को उसकी बसाहट स्थल से 1 कि.मी. की परिधि के भीतर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा और 3 कि.मी. की परिधि के भीतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुविधा मुहैया कराना।
- प्रत्येक 6–14 वर्ष के बच्चों को शाला में नामांकन सुनिष्चित कर 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं जनसमुदाय की सहभागिता सुनिष्चित कराना।
- बच्चों की शैक्षणिक स्थिति (ग्रेड) का माता–पिता, संरक्षकों के सम्मुख रखना एवं उनके सहयोग से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्वि हेतु सामूहिक प्रयास करना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–(DIET)

भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक परिवर्तन हुए और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हमारे देष ने बहुत प्रगति की किन्तु विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाना संभव नहीं हो सका इस कार्य को शिक्षा अच्छी तरह कर सकती है। इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने अगस्त 1985 में *'शिक्षा की चुनौतीः नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य'* नामक दस्तावेज प्रकाषित किया । इस दस्तावेज से पूरे देष में शिक्षा पर बहस हुई । मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया तत्पश्चात ''प्रोग्राम ऑफ एक्षन'' की घोषणा की ।

इन संस्थानों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

1. विद्यालयीन कार्यक्रमों का संचालन ।
2. गैर औपचारिक कार्यक्रमों का संचालन।
3. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन ।
4. अधिगम सामग्री, तकनीकी विषेषज्ञता, सहायक सामग्री, शैक्षिक उपकरणों के स्टोर हाउस का कार्य ।
5. अन्य अध्यापक प्रषिक्षण सस्थाओं स सहयोग लेना व देना।

पालक शिक्षक संघ–

मध्यप्रदेष में ग्राम स्वराज की व्यवस्था से गाँव के विकास के कार्यों में जनता की सीधी भागीदारी स्थापित की गई है । अब गाँव के सभी पुरूष और महिलाएँ अपने गाँव के विकास के लिये योजना बनाते हैं तथा उस पर कार्य करते हैं । गाँवों में बच्चों के लिये पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिये ग्राम स्तर पर शिक्षा समिति के गठन की वैधानिक व्यवस्था की गई है ।

1. 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के समस्त बच्चों के शत–प्रतिषत नामांकन को सुनिष्चित करना।
2. विद्यार्थियों तथा षिक्षकों की नियमित उपस्थिति को सुनिष्चित करना ।
3. भिन्न–भिन्न विषयों की विभिन्न, दक्षताओं में उपलब्धि के स्तर में बच्चों के विकास को मानीटर करना ।
4. विद्यालय के विकास तथा विद्यालय के संसाधनों (आस्तियों) की वृद्धि में सहायता करना ।
5. विद्यालय के सर्वांगीण विकास शैक्षणिक, प्रषासनिक तथा वित्तीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा पुनर्विलोकन करना ।

शैक्षिक सूचकांकों से तात्पर्य–

हम सभी यह चाहते है कि हमारी शाला एक उत्कृष्ट शाला के रूप में नाम स्थापित करे। शाला को उत्कृष्ट बनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के शैक्षिक सूचकांक निम्नानुसार है–

1) सकल दर्ज अनुपात (Gross Enrolment Ratio)
2) छात्र निरंतरता सूचकांक (Students Continuity Index)
3) जेन्डर समानता नामांकन सूचकांक (Gender Equality in Enrolment)

शैक्षिक सूचकांकों की शिक्षा में उपयोगिता –

सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान चलाया है। मोटे तौर पर लोकव्यापी प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है–

- लोकव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना अर्थात् 6–14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा किसी प्राथमिक/माध्यमिक शाला में दर्ज हो।
- लोकव्यापी ठहराव सुनिश्चित कराना अर्थात् प्रत्येक बच्चा कक्षा में निरन्तर उपस्थित रह कर अपनी आठ वर्ष तक की शिक्षा पूर्ण करे।

शोध सर्वेक्षण साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सदियों से एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकता है। मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते है –ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का प्रसारण करना और ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य शोध में विषेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि वास्तविकता के समीप आने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है। व्यावहारिक रूप में तो धन की भाँति सम्पूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों में तथा पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये रूप में प्रारम्भ करना चाहिये। ज्ञान के विस्तृत भण्डार में इसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। शोध–कर्ता यह निष्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं।

शोध साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित कारणों से आवष्यक हैं–

1. शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारम्भिक पदों में से एक रूचि के अनुरूप विषेष क्षेत्र में किये गये शोध कार्यो की समीक्षा करता है, इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विष्लेषण शोध कर्ता को एक दिषा का संकेत देता है।
2. प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता के लिए यह अत्यन्त आवष्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किये गये अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली–भाँति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है।
3. यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहिचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोध कर्ता साहित्य के समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद–विवाद किया जा सकता है।

शोध सर्वेक्षण साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य –

शोध कार्य में साहित्य की समीक्षा के निम्नलिखित उद्देष्य हैं–

1. यह सिद्धान्त विचार व्याख्यायें अथवा परिकल्पनायें प्रदान करता है जो नयी समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते हैं।
2. यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदान करता हैं। शोध–कर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शाध परिकल्पनायें बना सकता है।
3. यह समस्या के समाधान के लिए उचित विधि, प्रक्रिया, तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है।
4. यह परिणामों के विष्लेषण में उपयोगी निष्कर्षों और तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है। सम्बन्धित अध्ययनों से पाप्त किये गये निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है और यह समस्या के निष्कर्षों के लिए उपयोगी हो सकता है।
5. यह शोध कार्य किये क्षेत्र में शोधकर्ता की निपुणता और सामान्य ज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है।

शोध कार्य का उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित कियें गऐ हैं–

1. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के सकल दर्ज अनुपात सूचकांक का अध्ययन करना।
2. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के छात्र निरंतरता सूचकांक का अध्ययन करना।
3. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरनरत् विद्यार्थियों के जेण्डर समानता नामांकन सूचकांक का अध्ययन करना।
4. शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक का अध्ययन करना।
5. शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक का अध्ययन करना।

शोध में प्रयुक्त परिकल्पनाएँ–

''परिकल्पना एक ऐसा कथन होता है जिसे अस्थायी रूप से सही मान लेते है जो परिचित तथ्यों से संबंधित होता है। जिसका उपयोग शोध की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नये तथ्यों की खोज की जाती है। परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है, तब नये तथ्यों, नियमों और सिद्वांतों का प्रतिपादन किया जाता है।''

विगत पाँच वर्षो के शैक्षिक सूचकांकों के संदर्भ में प्रस्तुत शोध कार्य की निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता हैं.

1) शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सकल दर्ज अनुपात सूचकांक में प्रति वर्षानुसार उन्नयन परिलक्षित हुआ है तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2) शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रतिवर्षानुसार छात्र निरंतरता सूचकांक संतोषजनक हैं तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3) शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के जेण्डर समानता सूचकांक में प्रति वर्षानुसार समानता परिलक्षित हुई है तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।
4) शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक संतोष जनक है तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5) शहरी तथा ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न वर्षों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वार्षिक स्थिरता दर सूचकांक संतोष जनक है तथा इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमांकन–

समस्या का स्वरूप साधारणतः समस्या का व्यावहारिक रूप में अध्ययन करने के लिए सोमांकन करना आवष्यक होता हैं। एक अध्ययन की समस्या के इन पक्षों का सीमांकन करना चाहिए।

1. शोध समस्या में अनेक चर होते हैं किन्तु उन सभी को अध्ययन में नहीं लिया जा सकता है अतः शोध समस्या में महत्वपूर्ण सीमित चरों को ही लिया जाता है जिनका स्पष्ट रूप से विवेचन किया जाता है।
2. समस्या का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है जबकि सम्पूर्ण क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं होता है इसलिए शोध समस्या का क्षेत्र सीमित किया जाता है।
3. समस्या का अध्ययन करने के लिए न्यादर्ष का चयन किया जात है न्यादर्ष का आकार भी सीमित किया जाता है क्योंकि शोधकर्ता के पास साधन तथा समय सीमित होता है।
4. प्रष्नों के विष्लेषण के लिए अनेकों प्रविधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है परन्तु समुचित प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिससे परिकल्पना की पुष्टि की जा सके तथा उद्देष्यों की प्राप्ति की जा सके।

शोध अध्ययन विधि एवं कार्य योजना–

एफ.एन.करलिंजर के अनुसार – ''सर्वेक्षण अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत छोटे और बड़े समग्रों से चयन किये गये न्यादर्षो के माध्यम से सापेक्षिक घटनाओं, वितरणों तथा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।''

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श एवं आलेख–

- जब कभी किसी जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विषिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने कि क्रिया को न्यादर्षन कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्ष कहते है ।
- शोध अध्ययन हेतु शहडोल जिले के प्रारंभिक शिक्षा के दो शहरी तथा दो ग्रामीण शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया ।

शोध में प्रयुक्त उपकरण –

अनुसंधान में परिकल्पना के परीक्षण के लिए आँकड़ों का संग्रह करने हेतु उपकरण की आवष्यकता होती है । प्रत्येक उपकरण एक विषेष प्रकार के आँकड़े के लिए उपयुक्त होते है ।

अनुसंधान समस्या की संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए आवष्यक तथा तर्कसंगत प्रदत्तों की आवष्यकता होती है । वांछित प्रदत्तों संकलन के लिए शोधकर्ता जिन साधनों का प्रयोग करता है, उन्हें अनुसंधान के उपकरण कहते हैं। षिक्षा अनुसंधान में मुख्यतः प्रष्नावली, मापनी, अनुस्थिति, अनुसूची पत्र व परीक्षण जैसी मापन प्रविधियों का प्रयोग होता है ।

प्रदत्तों के संकलन से तात्पर्य –

एक अनुसन्धान–कर्ता को यह जानना अत्यन्त आवष्यक है कि कितना और किस प्रकार के प्रदत्तों का संकलन किस स्थान पर और कब किया जाये। अनुसन्धानकर्ता को इस बात का भी ज्ञान होना अत्यन्त आवष्यक है कि किस प्रकार के प्रदत्तों के संकलन का मुख्य उद्देष्य अनुसन्धान परिकल्पना को पमाणित या उचित रूप में सिद्ध करना है।

प्रदत्तों का अर्थ–

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का संकलन दो स्त्रोतों से किया गया है –

1. **प्राथमिक स्त्रोत** – सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्त, प्रधानाध्यापकों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्रदत्त जो कि वर्ष 2006–2011 तक हैं (बालक–बालिकाओं की संख्या, नामांकन, बसाहट की जनसंख्या इत्यादि), प्रष्नावलो के माध्यम से आवष्यक जानकारियाँ।
2. **द्वितीय स्त्रोत** – इसमें विभिन्न प्रकार के अभिलेख, इन्टनेट से प्राप्त विभिन्न जानकारियाँ शामिल हैं ।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

शैक्षणिक अनुसंधान में जिस समस्या का अध्ययन किया जाता है उसका स्वरूप अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष है । आँकड़ों का मूल स्वरूप प्रायः जटिल होता है ।

अनुसंधान की प्रक्रिया में विभिन्न उपकरणों के प्रयोग से सामग्री को उपयोगिता की दृष्टि से संक्षिप्त करना वर्गीकरण कहलाता है। प्रदत्तों को वर्गीकृत एवं सारणीबद्व करने के उपरान्त प्रदत्तों का विष्लषण किया जाता है और उपयुक्त व्याख्या की जाती है । वर्गीकरण के बिना विष्लेषण एवं कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता ।

सुझाव–

शासन–

1. शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त विषय शिक्षक नहीं होने से अन्य विषय के शिक्षकों के द्वारा षिक्षण कार्य करवाया जाता ह साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में षिक्षकों की कमी होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः शासकीय विद्यालय में पर्याप्त विषय शिक्षक उपलब्ध कराया जाय।
2. शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य भी कराये जाते है जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित होता है । अतः शासन को चाहिए कि षिक्षकों से अन्य शासकीय कार्य जैसे– पल्स पोलियो, फोटो परिचय पत्र, चुनाव कार्य एवं जनगणना कार्य आदि गैर शैक्षणिक समय करवाये जाये ।
3. शासकीय विद्यालयों में पर्याप्त भवन एवं शौचालय व्यवस्था नहीं है अतः शासकीय विद्यालयों में प्रथमतः भवन एवं शौचालय की पूर्ती कर द्वितीयक रूप से फर्नीचर और पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी–

1. शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य न करवाये जाए ।
2. शासकीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उपचारात्मक षिक्षण कि व्यवस्था की जाए।
3. प्राथमिक तथा माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में नकल प्रवृत्ति को कड़ाई से रोका जाए ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–

1. सभी शैक्षिक गतिविधियाँ निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर व समय विभाग चक्र के अनुसार संपन्न करवानी चाहिए ।
2. शिक्षकों को सघन व नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर उस प्रशिक्षण में जिस विधा लिए षिक्षक को प्रषिक्षित किया है वह उस विधा का वह अनुप्रयोग कर रहा है या केवल प्रशिक्षण की औपचारिकता पूर्ण कर रहा है कि सतत मानीटरिंग करना चाहिये।
3. विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए नई–नई षिक्षण विधियों, नवाचार, सहायक षिक्षक सामग्री के प्रयोग के लिए षिक्षकों को सतत् मार्ग दर्षन करना चाहिए ।

प्राचार्य –

1. विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का सतत् निरीक्षण करना चाहिए ।
2. विद्यार्थियों को नवीन प्रवेष के समय सद्भावना पूर्ण एवं आत्मीय व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनके मन से प्राचार्य, शिक्षक एवं शाला का भय समाप्त हो सके ।
3. सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार व समय पर सम्पन्न करवाना चाहिए ।

शिक्षक–

1. अपने कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए ।
2. शिक्षण कार्य नियमित और पूर्ण रूचि से करना चाहिए ।
3. शिक्षण में नई–नई विधा को अपना कर शैक्षिक प्रक्रिया को रूचिकर बनाना चाहिए ।

अभिभावक–

1. अपने बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करना चाहिए ।
2. अपने बालक–बालिका के विद्यालय में माह में कम से कम दो बार भ्रमण करके बालक व बालिका की शैक्षिक या विषय शिक्षक से मिलकर उसकी समस्या दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।
3. अच्छे परिवारिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे विद्यार्थी का मन अन्य समस्याओं से मुक्त रहे ।

विद्यार्थी –

1. विद्यार्थी पढ़ाई में रूचि रखे ।
2. नियमित रूप से शाला जावे ।
3. अपने सहपाठियों से मित्रवत व्यवहार करे ।

भावी शोध हेतु सुझाव–

1. विषिष्ट आवष्यकता वाले बालकों को लिये शक्षिक सूचकांकों का अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक का अध्ययन करना ।
3. सकल पहुँच अनुपात सूचकांक का अध्ययन करना ।
4. छात्र उपस्थिति सूचकांक का अध्ययन करना ।

REFERENCES

1. अस्थाना डॉ.विपिन, श्रीवास्तव डॉ.विजया, अस्थाना कु. निधि 2008 शैक्षिक

अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

2. पाण्डे रामषकल 2007 उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

3. राय पारसनाथ, (1973) राय सी.पी.,प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा प्रथम संस्करण

4. सक्सैना एन.आर.स्वरूप, चतुर्वेदी डॉ. (श्रीमती) षिल्पा, डॉ. धर्मेन्द्र कुमार 2010– उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, प्रकाषक– विनय रखेजा आर.लाल बुक डिपो, मेरठ

5. सुखिया एस.पी., (1966) शैक्षिक अनुसंधान के तत्व, कोलकाता, एलीड पब्लिकेशन प्रथम संस्करण

****